



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 भाद्र 1942 (श०)

(सं० पटना 569) पटना, मंगलवार, 15 सितम्बर 2020

गन्ना उद्योग विभाग

आदेश

21 अगस्त 2020

सं० 02/रेगु०-2-800-07/2020-891—बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम-1981 की धारा-31(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, उदय कुमार सिंह, ईखायुक्त, बिहार **पेराई सत्र 2020-21 से 2024-25** (पाँच वर्षों) के लिए ईखापूर्ति हेतु गन्ना क्षेत्र के ग्रामों को **मेसर्स एच.पी.सी.एल. बायोफ्यूल्स लि०, लौरिया, पश्चिम चम्पारण** के साथ **परम्परागत** रूप में आरक्षण से संबंधित प्राप्त प्रस्ताव पर सभी संबंधित चीनी मिलों के प्रतिनिधियों, क्षेत्रीय ईख पदाधिकारियों, विभागीय पदाधिकारियों एवं अन्य संबंधितों के समक्ष विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (V.C.) के माध्यम से दिनांक-06.08.2020 को सुनवाई की गई।

विभागीय आदेश संख्या-2307 दिनांक-24.09.2015 के माध्यम से पूर्व में पेराई सत्र 2015-16 से 2019-20 के लिए इस चीनी मिल के लिए (139 + 8) 147 ग्रामों को **परम्परागत** रूप से आरक्षित क्षेत्र गठित किया गया था। परन्तु माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर CWJC No. 16453/2015 में दिनांक-25.02.2016 को पारित न्यायादेश द्वारा पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत योगापट्टी प्रखण्ड के परम्परागत रूप से आरक्षित 7 ग्राम तथा CWJC No. 17148/2015 में दिनांक-25.02.2016 को पारित न्यायादेश के द्वारा पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत योगापट्टी प्रखण्ड के परम्परागत रूप से आरक्षित 1 ग्राम को निरस्त किया गया। इस प्रकार लौरिया चीनी मिल को 139 ग्राम परम्परागत रूप से आरक्षित थे।

विभागीय आदेश संख्या-1643 दिनांक-26.09.2017 के माध्यम से पेराई सत्र 2017-18 से 2021-22 तक पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत 28 ग्रामों को परम्परागत रूप से आरक्षित किया गया है।

विभागीय आदेश संख्या-1864 दिनांक-19.12.2018 के माध्यम से लौरिया चीनी मिल को आरक्षित पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत योगापट्टी प्रखण्ड के 12 ग्राम एवं बगहा-1 प्रखण्ड के 5 ग्राम कुल 17 ग्रामों को मेसर्स तिरुपति सुगर्स लि०, बगहा को अगले आदेश तक आरक्षित किया गया है।

अपने क्षेत्र आरक्षण के संबंध में मेसर्स एच.पी.सी.एल. बायोफ्यूल्स लि०, लौरिया के प्रबंधक श्री अजय तिवारी द्वारा बताया गया कि उनके चीनी मिल के लिए मात्र 134 ग्रामों का पूर्व से परम्परागत आरक्षित क्षेत्र गठित है। इसके

अतिरिक्त पश्चिम चम्पारण जिला अन्तर्गत पेराई सत्र 2017-18 से 2021-22 तक परम्परागत रूप से 28 ग्रामों को आरक्षित किया गया है।

उनके चीनी मिल की दैनिक पेराई क्षमता 3500 TCD है। मिल के साथ एक 60 KLPD की डिस्टिलरी एवं 20 MW क्षमता का सह-विद्युत उत्पादन इकाई भी स्थापित है। उन्होंने बताया कि पेराई सत्र 2020-21 के लिए उनके चीनी मिल का Normal Cane Requirement (NCR) 43.00 लाख क्विंटल निर्धारित हुआ है। उन्होंने बताया कि पूर्व में परम्परागत रूप से आरक्षित 139 ग्राम आरक्षित थे इसके अतिरिक्त प० चम्पारण जिलान्तर्गत योगापट्टी प्रखंड के 12 ग्राम एवं बगहा-1 प्रखंड के 5 ग्राम कुल 17 ग्राम जो पूर्व में लौरिया चीनी मिल को ही आरक्षित था। परन्तु पेराई सत्र 2017-18 में डिफ्यूजर में खराबी आ जाने के कारण इकाई का अपना परम्परागत एवं अपरम्परागत रूप से आरक्षित उक्त 17 ग्रामों को बगहा चीनी मिल को अगले आदेश के लिए आरक्षित कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि अब डिफ्यूजर में कोई खराबी नहीं है और इकाई अपनी पूरी क्षमता से पेराई करने में सक्षम है। उन्होंने यह भी बताया गया कि इन प्रस्तावित ग्रामों के कृषकों को लौरिया चीनी मिल के निकटता के कारण काफी सुविधा होगी। बगहा चीनी मिल से ये ग्राम काफी दूरी पर हैं। अतः उक्त 17 ग्रामों को पुनः लौरिया चीनी मिल के पक्ष में आरक्षित करने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त के आलोक में तिरुपति सुगर्स लि० के महाप्रबंधक द्वारा प्रतिवाद करते हुए बताया गया कि उनके आरक्षित क्षेत्र के अतिरिक्त प्रश्नगत 17 ग्रामों के आवंटन के पश्चात् चीनी मिल द्वारा ईख विकास का कार्य किया गया है तथा कृषकों को बीज बदलाव कार्यक्रम के अन्तर्गत उन्नतशील प्रभेदों के गन्ना बीज एवं उर्वरक भी ऋण पर उपलब्ध कराया गया है। उक्त आवंटित 17 ग्रामों में आदेशानुसार क्रय केन्द्र स्थापित कर विगत वर्षों से ससमय गन्ना खरीद की जा रही है तथा कृषकों के गन्ने का भुगतान भी ससमय कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि बगहा चीनी मिल को विस्तारित पेराई क्षमता 10000 TCD के आधार पर निर्धारित कार्य दिवसों में न्यूनतम 160 लाख गन्ने की आवश्यकता होगी, जिसकी पूर्ति वर्तमान परम्परागत क्षेत्र से सम्भव प्रतीत नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में अतिरिक्त क्षेत्र परम्परागत रूप से आरक्षित करने की आवश्यकता होगी ताकि न्यूनतम ईख की आवश्यकता की पूर्ति हो सके।

सुनवाई के दौरान किसानों, उनके प्रतिनिधियों एवं जनप्रतिनिधियों से प्राप्त सभी अभ्यावेदनों का सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया।

संयुक्त क्षेत्रीय विकास परिषद्, पश्चिम चम्पारण के सदस्यों द्वारा अपने मंतव्य से दिनांक- 13.08.2020 को विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (V.C.) के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया गया एवं यथास्थिति बनाये रखने का अनुरोध किया गया। क्षेत्र आरक्षण से संबंधित कार्यालय में संधारित अभिलेखों एवं मय नजरी नक्शा का भी अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट हुआ कि इस चीनी मिल को आरक्षित प० चम्पारण जिलान्तर्गत लौरिया प्रखण्ड के ग्राम-धोबनी (481) मगध सुगर एण्ड एनर्जी लि०, इकाई-न्यू स्वदेशी सुगर मिल्स, नरकटियागंज को पूर्व से ही आरक्षित है एवं विभागीय आदेश संख्या-1864 दिनांक-19.12.2018 के माध्यम से योगापट्टी प्रखण्ड के 2 ग्राम यथा चौमुखा (36) एवं बड़हरवा (44) तथा बगहा-1 प्रखण्ड के 3 ग्राम यथा मानपुर डुमरी (316), टेसरहिया (317) एवं नवगावा (380) कुल 5 ग्रामों को तिरुपति सुगर्स लि०, बगहा को आरक्षित कर दिया गया था। अर्थात् वर्तमान में लौरिया चीनी मिल को 133 ग्राम ही आरक्षित है।

इस चीनी मिल का पेराई सत्र 2019-20 का दिनांक-13.08.2020 तक ईख मूल्य भुगतान 87.35 प्रतिशत है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरान्त और संवद्ध पक्षों को सुनने के बाद मेसर्स एच.पी.सी.एल. बायोफ्यूल्स लि०, लौरिया, पश्चिम चम्पारण के पक्ष में पेराई सत्र 2020-21 से पेराई सत्र 2024-25 (पाँच वर्षों) के लिए राज्य के पश्चिम चम्पारण जिला अन्तर्गत 133 ग्राम जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-‘क’ में दर्शित है, को परम्परागत रूप से आरक्षित किया जाता है।

लेखापित एवं शुद्धित
उदय कुमार सिंह,
ईखायुक्त।

आदेश से,
उदय कुमार सिंह,
ईखायुक्त।

परिशिष्ट "क"

मेसर्स एच.पी.सी.एल. बायोफ्यूल्स, लिमिटेड, इकाई-लौरिया, पश्चिम चम्पारण के लिए पेराई सत्र 2020-21 से 2024-25 तक के लिए परम्परागत रूप से आरक्षित 133 ग्रामों की सूची।

क्रमांक	जिला का नाम	राजस्व थाना	ग्राम का नाम	राजस्व थाना संख्या
1	प० चम्पारण	लौरिया	ढढ़वा	430
2			पकड़ी	431
3			लौरिया ए	432
4			बेलवा	433
5			ठाकुर टोला	434
6			मराहिया	435
7			पडरौन	436
8			विशुनपुरवा	437
9			फुलरिया	438
10			लोहरपटिया	439
11			डुमरा	440
12			मथिया	441
13			पकरी	442
14			मंगुराहा	443
15			मंगुराहा	444
16			मंगुराहा	445
17			परसा	446
18			पवनटोला	447
19			बंकटवा	448
20			वंशवरिया	449
21			गिरिया	450
22			दुबौलिया	451
23			लखनपुर	452
24			गोखुला	453
25			सिरूकहिया	675
26			बेलवा	676
27			बरवा	677
28			पंचभिरवा	678
29			ळरपुर	679
30			फुलवरिया	680
31			कटैया	682
32		चनपटिया	मुसहरी	1
33			भीखमपुर	4
34			वीजबनिया बन्दबस्ती	6
35		योगापट्टी	गोरा	8
36			गोबिनापुर	9
37			खुशहालपट्टी	10
38			लक्ष्मिता	11
39			जमुनिया	12
40			सिंहपट्टी	13
41			अमैठिया	14
42			संग्रामपुर	15
43			बरियारपुर	16
44			विश्रामपुर	17
45			दरवलिया	18
46			हथिया	19
47			मच्छरगाँवां	20 / 1

क्रमांक	जिला का नाम	राजस्व थाना	ग्राम का नाम	राजस्व थाना संख्या
48			कुंवरापट्टी	22
49			दुलारपट्टी	23
50			बकुचिया	24
51			धनगरवा	25
52			मटकोटा	28
53			रुदलपुरपट्टेरा	30 / 2
54			मनोपट्टी	39
55			लक्ष्मीपुर	40
56			रामपुर बहेलिया	47
57			पुरैना	48
58			बायोपट्टी	50
59			मथिया रसुलपुर	51
60			बहुरवा	52
61			परेगवा	351
62			ननकार	405
63			सोनवरसा	406
64			पडरौन	407
65			चोरही	408
66			सिरसिया	409
67			पिपरपांती	410
68			शिवराजपुर	411
69			सिसव भूमिहार	412
70			खैरातीत	423
71			सहादतपुर	424
72			ओझवलिया	425
73			गौनरिया	426
74			दोनबार खुर्द	427
75			दोनबार कला	428
76			बरवा	429
77			सेहुरवा	430
78			सिकटा कला	431
79			सिकटा खुर्द	432
80		बगहा-1	बलुही	312
81			नगुनाहॉ इस्ट	313
82			बीबी बंकटवा	318
83			मंझौवा	319
84			पडरी	320
85			परसौनी	324
86			हरपुर	325
87			हमीरा	326
88			तरकुलवा	371
89			मोतीटोला	372
90			धरमकाँटा	327
91			राजगीरभुजौली	328
92			इंगलिशिया	329
93			जमादारटोला	330
94		लौरिया	डुमरा	673
95			भेरिहरवा	426
96			गोनदौली	427
97			सिसबनिया	428

क्रमांक	जिला का नाम	राजस्व थाना	ग्राम का नाम	राजस्व थाना संख्या
98			बरवा कला	429
99			जवाहिरपुर	482
100			परोराहा	674
101		चनपटिया	लक्ष्मीपुर	7
102		योगापट्टी	छत्तीअनवां	21
103			ढोढ़वलिया	26
104			बरवा	321
105		बगहा-1	जमादार टोला	332
106			सिसवा	333
107			वंसतपुर	334
108			विशुनपुरवा	314
109			बनकरवा तिवारी	315
110			मठैयावृत्त	368
111			टोला पिपरा	369
112			जैनी टोला	370
113			टोला गोसाई	373
114			टोला परसौनी	374
115			टोला अलख डबरी	375
116			टोला डबरी	376
117			टोला मझरिया	377
118			सिसवां	378
119			सिसवा	379
120			भटइया	383
121		योगापट्टी	सिसबनिया	27
122			नवगांवा	29
123			लौकरिया जोगा पट्टी	30 / 1
124			कोईगांवां	31
125			हथिया खाप	32
126			भटबलिया	33
127			मदारपुर	34
128			एराजीननकार	35
129			मंघातापुर	37
130			मंगलपुर	38
131			डुमरी	43
132			फतेहपुर	45
133			भेलबनवां	46

उदय कुमार सिंह,
ईखायुक्त।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 569-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>